

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं010(1)चिस्वा/2/19/डी-445

जयपुर,दिनांक: 14.6.19

निदेशक(जन स्वा),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:-डॉ0 दीपिका सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी, आदर्श प्राथमिक
स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु जिला सीकर के स्वैच्छा से अनुपस्थिति
के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि डॉ0 दीपिका
सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु जिला सीकर
का प्रोबेशनकाल सन्तोष जनक रूप से पूर्ण नहीं करने के कारण राजस्थान
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम,1963 के नियम 29 के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए
अनुपस्थिति तिथि दिनांक 09.10.2018 से राज्य सेवा समाप्त किये जाने की
स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 2-डॉ0 दीपिका सक्सैना, चि0अ0, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिशु (सीकर)।
- 3-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।



सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक:प.6(1)चिस्वा / 2 / 2019 / आर-1654(ए)

जयपुर, दिनांक: 13/6/19

आदेश


डॉ० राकेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन), डी०एम० नेफ्रोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर का चयन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में आवश्यक/अस्थाई सहायक आचार्य (नेफ्रोलोजी) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 3- डॉ० राकेश कुमार गुप्ता, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन), डी०एम० नेफ्रोलोजी विभाग, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 4- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।


(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग


क्रमांक: पं0 10(1)चिस्वा/2/19/डी-456

जयपुर, दिनांक: 14.6.19

आदेश


डॉ0 दिव्या जोशी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंवा खण्ड-देवली जिला टोंक का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 22.08.2018 से त्याग पत्र एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 2-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
- 3-डॉ0 दिव्या जोशी, चि0अ0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंवा खण्ड-देवली (टोंक)।
- 4-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं02(1)चिस्वा/2/2019/के-428

जयपुर,दिनांक: 14-06-2019


आदेश

एस.बी.सिविल रिट पिटिशन नम्बर 9181/2018 में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2019 की पालना में डॉ0 कमल कान्त खण्डेलवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (शिशु), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगानेर, जयपुर को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम,1996 के नियम-50(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ0 खण्डेलवाल के विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन एवं लम्बित नहीं है।


आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
- 2- निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग,ज्योति नगर, जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, जयपुर।
- 4- उप विधि परामर्शी,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
- 5- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।
- 6- डॉ0 कमल कान्त खण्डेलवाल, प्रमुख विशेषज्ञ (शिशु), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगानेर, जयपुर।

17- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प.10(1)चिस्वा/2/2019/सी-50

जयपुर, दिनांक: - 17/6/19

आदेश


डॉ० चन्द्रदीप मस्तान, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद जिला अजमेर का चयन जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में सीनियर रेजीडेंट (शिशु रोग) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1— निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2— प्रधानाचार्य, जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
- 3— प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद (अजमेर)।
- 4— डॉ० चन्द्रदीप मस्तान, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद जिला अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति जे. एल.एन. मेडिकल कॉलेज, अजमेर में देकर इस विभाग को सूचित करें।
- 5— कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।


(ओ. पी. वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:प0 12(1)चिस्वा / 2 / 2019 / आर-2810 / आईडी-1133 जयपुर, दिनांक: 18-6-19

आदेश

डॉ० राजेश सिगड़, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन बांसवाड़ा के परिवीक्षाकाल में दिनांक 20.09.18 से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने पर पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की तिथि से पूर्व की समस्त सेवा जब्त करते हुये डॉ० राजेश सिगड़, चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन यथावत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छोटी सरवन बांसवाड़ा में किया जाता है।

आज्ञा से,

- ६० -

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
- 3- डॉ० राजेश सिगड़, चिकित्सा अधिकारी, द्वारा निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
- 4- रक्षित पत्रावली / कम्प्यूटर सेल।

(ओ०पी०वर्मा)

शासन सहायक सचिव